भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3753

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025/03 चैत्र 1947 (शक) को दिया जाना है।

राजस्व विभाग द्वारा अपीलों की निर्धारित सीमा में वृद्धि

3753. श्री चंदन चौहानः
श्री अनुराग शर्माः
श्री चिन्तामणि महाराजः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न अपीलीय मंचों में की जाने वाली अपीलों की निर्धारित सीमा में वृद्धि को लागू किया है; और
(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय से लाभान्वित होने वाले मामलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) एवं (ख): जी हाँ।

(i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग के दिनांक 17.09.2024 के परिपत्र संख्या 09/2024 के माध्यम से आयकर अपीलीय प्राधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा में क्रमशः 60 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने से लाभान्वित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

प्रत्यक्ष कर

अपीलीय मंच	मौद्रिक सीमा	वापसी के लिए निर्धारित अपीलें और वापस ली जा रही अपीलें	मौद्रिक सीमा बढ़ाए जाने के कारण अपील दायर नहीं की गई
आईटीएटी	60 लाख	353	1405
उच्च न्यायालय	2 करोड़	3758	1337
उच्चतम न्यायालय	5 करोड़	840	378
कुल		4951	3120

(ii) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के संबंध में अपील दाखिल करने की मौद्रिक सीमा को क्रमशः दिनांक 02.11.2023 के परिपत्र फा. सं. 390/विविध/30/2023-जे.सी. और दिनांक 06.08.2024 के परिपत्र 390/विविध/163/2010-जे.सी. के माध्यम से बढ़ा दिया है। अपील दाखिल करने हेतु मौद्रिक सीमा में वर्तमान वृद्धि से लाभान्वित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

सीमा शुल्क

अपीलीय मंच	मौद्रिक सीमा (सीमा शुल्क)	वापस ली गई अपीलें	शामिल राशि (करोड़ रुपए में)
सीईएसटीएटी	50 लाख	207	26
उच्च न्यायालय	1 करोड़	240	45
उच्चतम न्यायालय	2 करोड़	30	114
कुल		477	185

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर

अपीलीय मंच	मौद्रिक सीमा (केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)	वापस ली गई अपीलें	शामिल राशि (करोड़ रुपए में)
सीईएसटीएटी	60 लाख	367	127
उच्च न्यायालय	2 करोड़	582	817
उच्चतम न्यायालय	5 करोड़	222	2315
कुल		1171	3259

*****